न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)

वाद सं0 एम0 140/2021

धारा 107 द0 प्र0 सं0

प्रथम पक्ष– बालमुंद सिंह .... वगैरह ।

बनाम

द्वितीय पक्ष–भागेश्वर सिंह........... वगैरह ।

आदेश की क0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी एवं तिथि
1	2	3
1 26/8/22	उक्त वाद की कार्रवाई थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं0 07/2022 दिनांक 10/02/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष** (1) बालमुंद सिंह उम्र 60 वर्ष पिता स्व0 यदुनाथ सिंह (2) गणेश सिंह उम्र 45 वर्ष पिता बालमुकुंद सिंह (3) योगेन्द्र सिंह उम्र 42 वर्ष पिता बालमुकुंद सिंह (4) दमोदर सिंह उम्र 38 वर्ष पिता बालमुकुंद सिह (5) शंकर सिह उम्र 35 वर्ष पिता बालमुकुंद सिंह कुरूम ढ़ोलसेरा थाना–पालकोट,जिला–गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** (1)भागेश्व सिंह उम्र 58 वर्ष पिता स्व0 उदय बरण सिंह (2) दिलू सिंह उम्र 55 वर्ष पिता स्व0 उदय बरण सिंह (3) गजिन्दर सिंह उम्र 20 वर्ष पिता भागेश्वर सिंह सभी ग्राम कुरूम ढ़ोलसेरा थाना पालकोट जिला गुमला के बीच मौजा कुरूम के खाता सं0 01 प्लॉट सं0 1753,1754 रकबा 0.58 एकड़, 0.26 एकड़ जमीन को लेकर आपसी विवाद होने एवं अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया। निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उभय पक्ष उपस्थित। उक्त वाद की कारर्दवाई के दौरान उभय पक्षों द्वारा किसी प्रकार की शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी पालकोट से अप्राप्त है। वाद पर कार्रवाई की समयअवधि समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित। अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला) Digitally signed by SANJAY P.M. KUJUR Date: 2022.09.09 11:40:21 +05:30 Location: 192.168.235.239	